न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 116/2006/ जिला–नागौर (2006/00008)

1. मोबाराम
2. रामदेव पुत्र चूनाराम
   जाति जाट निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र खूमाराम तथाकथित दत्तक पुत्र जीवणराम
2. खूमाराम पुत्र गुमानाराम
   जाति जाट निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर।

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना दिनांक 03–10–2006
अपील संख्या 14/2006 बउनवान दल्लाराम बनाम मोबाराम व अन्य

उपस्थित : 1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सोहन पाल सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक : 28.12.2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दल्लाराम ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष एक अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके तथाकथित दत्तक पिता श्री जीवणराम को बहका कर पैतृक कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 200 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 62 बीघा 12 बिस्वा ग्राम चौमू स्थित आराजी संभावित भाग की भूमि का एक बेचाननामा दिनांक 3–4–2006 को बिला बदल व बिला कब्जा के अपने हक में करवा लिया जबकि उक्त दिवस को राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उक्त आराजी एवं अन्य आराजी के बाबत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में प्रकरण संख्या 2058/2006 में स्थगन आदेश जारी कर दिया था। उक्त

स्थगन आदेश की प्रति रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार डीडवाना को दिनांक 8–6–2006 को प्रस्तुत कर दी जिस पर तहसीलदार, डीडवाना ने हलका पटवारी को रिपोर्ट लिखने के लिए निर्देशित किया परन्तु पटवारी हलका ने अपीलांट से सांठ–गांठ कर राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 9–6–2006 को नामान्तरकरण संख्या 266–ए तस्दीक करवा कर इसी दिन विवादग्रस्त आराजियात की खतौनी में अमल दरामद कर दिया। राजस्व मण्डल के स्थगन के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 266–ए तस्दीक किया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 24–8–2006 को एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजियात के सह खातेदार खुमाराम पुत्र गुमानाराम को आवश्यक पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए अपीलांट्स ने जवाब प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा अनिर्णित रखते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–10–2006 से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 266–ए दिनांक 9–6–2006 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील अपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर की गई है तथा अपील में न तो नामान्तरकरण संख्या 266–ए की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई एवं ना ही रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय से छूठ प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त अपील दर्ज करने योग्य ही नहीं थी। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–8–2006 को प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से इन्कार करते हुए अपीलांट्स ने जवाब प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय केवल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित कथनों पर विश्वास किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उक्त कथनों के साथ–साथ सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करना चाहिए। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि तहसीलदार, डीडवाना को रेस्पोन्डेन्ट ने राजस्व मण्डल द्वारा

जारी स्थगन आदेश दिनांक 3–4–2006 एवं उक्त स्थगन की अवधि दिनांक 7–6–2006 की बढ़ायी, की प्रति दिनांक 8–6–2006 को व्यक्तिगत रूप से तामील करवाई हो केवल मात्र उक्त आदेशों की प्रतियां रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 24–8–2006 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। उक्त आदेश की प्रतियों पर विश्वास करते हुए रेस्पोन्डेन्ट को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार जीवणराम का दत्तक पुत्र होना दर्शाते हुए उक्त आराजी पर अपना स्वत्व जताया जा रहा है जबकि स्वयं जीवणराम ने ही रेस्पोन्डेन्ट को दत्तक ग्रहण करने से इन्कार किया है फिर भी उसे यदि दत्तक पुत्र मान भी लिया जावे तो भी विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 128 व खसरा नम्बर 200 रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13–3–74 को तत्कालीन खातेदार श्री भैरूराम पुत्र श्री रामूराम से क्रय की अर्थात उक्त आराजी जीवणराम की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसने अपीलांट्स को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3–4–2006 को विक्रय कर कब्जा एवं दखल अपीलांट्स को सुपुर्द करना स्वयं ने स्वीकार किया है। उक्त वास्तविक विधिक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए केवल मात्र राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश को आधार मानते हुए प्रकरण को बिना समझे ही विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–10–2006 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 266–ए दिनांक 9–6–2006 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2007 पेज 68 से 70, आर.बी.जे. 2007 पेज 372 से 379, आर.बी.जे. 2003 पेज 162 से 166, आर.एल.डब्लयू 1997 I Rajasthan पेज 550 से 553, आर.आर.डी. 1977 पेज 233 से 241, आर.आर.टी. 2002 पार्ट ।। पेज 1178 से 1187, आर.आर.डी. 1980 पेज 228 से 238 आदि नजीरे प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि अपीलांट ने विवादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 3–4–2006 को स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद तथाकथित बेचान दिनांक 3–4–2006 को अपने हक में बिला बदल व बिला कब्जा के पंजीयन करवाया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश की अवधि 10–7–2006 तक बढ़ा दी गई थी जिसकी सूचना रेस्पोन्डेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 8–6–2006 को प्रस्तुत कर दी। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार, डीडवाना ने दिनांक 9–6–2006 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर

दिया। तहसीलदार ने राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–10–2006 यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम चौमू स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 128 रकबा 54 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 200 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 62 बीघा 12 बिस्वा के मूल खातेदार जीवणराम थे। जिन्होंने अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त आराजियात का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान अपीलांट्स को दिनांक 3–4–2006 को कर दिया था जिसकी पालना में पटवारी हलका द्वारा दिनांक 4–4–2006 को भरकर तहसीलदर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की कि अंकन जमाबंदी के अनुरूप है, तहसीलदार डीडवाना को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार डीडवाना ने दिनांक 9–6–2006 को नामान्तरकरण संख्या 266–ए तस्दीक कर दिया। यद्यपि नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व रेस्पोन्डेन्ट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी थी जिसे नजर अन्दाज कर नामान्तरकरण तस्दीक किया जो विधिसम्मत नहीं है। तथापि नामान्तरकरण सरसरी कार्यवाही है जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, भूमि के क्रेता के अधिकार समाप्त नहीं होते। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 व 84 नामान्तरकरण कार्यवाही विवादित सम्पत्ति के विक्रय का दावा संक्षिप्त कार्यवाही में निर्णित नहीं किया जा सकता। जहां तक जीवणराम द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 दल्लाराम को दत्तक लेने का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिए। जीवणराम द्वारा अपने जीवनकाल में रेसपोन्डेन्ट दल्लाराम को दत्तक ग्रहण किया हो इस बाबत साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही बहस के दौरान रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर गुणावगुण पर निर्णय पारित न कर नोन–स्पीकिंग निर्णय दिनांक 03–10–2006 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03–10–2006 अपील संख्या 14/2006 बउनवान दल्लाराम बनाम मोबाराम व

अन्य व तहसीलदार डीडवाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 266–ए दिनांक 9–6–2006 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात के विधिक वारिसानों एवं क्रेताओं को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर